सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 17/2018

1. अमनदीप कौर पत्नी श्री जगदीश सिंह जाति मजहबी निवासी वार्ड नम्बर 08, केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थिया

बनाम

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीकरनपुर।
2. श्रीमान उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर
3. श्रीमती विजय श्री वर्मा निवासी वार्ड नम्बर 08 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर चयनित कार्यकर्ता

अप्रार्थीगण

उपस्थित :

1. श्री अमीत स्वामी अधिवक्ता अपीलार्थिया
2. श्री प्रेमचन्द सेवटा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03
3. विभागीय प्रतिनिधि दयावन्ती सोनी (सीडीपीओ)

दिनांक : 07–05–2018

आदेश

अधिवक्ता अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीया संख्या 03 का आंगनबाडी केन्द्र वार्ड नम्बर 08 केसरीसिंहपुर कार्यकर्ता के पद हेतु शहरी चयन समिति श्रीकरनपुर द्वारा किया गया है। उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर के कार्यालय आदेश क्रमांक–8493 दिनांक 22.12.2017 के तहत आवेदन मांगे गये थे जिसके तहत प्रार्थीया ने नगरपालिका केसरीसिंहपुर वार्ड नम्बर 08 आरक्षित पद एस.सी. (अनुसूचित जाति) पर कार्यकर्ता पद के लिए आवेदन किया। शहरी चयन समिति श्रीकरनपुर द्वारा प्रार्थीया अनुसूचित जाति की महिला का चयन न करते हुए अप्रार्थीया सख्या श्रीमती विजय श्री वर्मा का चयन किया गया है जो ओबीसी की महिला है। अप्रार्थीया श्रीमती विजय श्री वर्मा का चयन नियम विरूद्व किया गया है। चयन हेतु वांछित पात्रता– के कॉलम –5 के 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है उन केन्द्रो के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जाएगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनबाडी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जानी चाहिए। दिनांक 08.02.2018 प्रार्थीया ने सुचना के अधिकार में एक प्रार्थना पत्र पेश चयन समिति द्वारा किंये गये चयन के आदेश की प्रति अप्रार्थी संख्या 1 से चाही गई परन्तु सूचना के अधिकार के अधिनियम का उल्लघन करते हुए आज तक आदेश की कापी जारी नहीं की गई है। प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर दिये बिना चयन समिति ने द्वेषभाव व राजनैतिक प्रभाव से, विधि विरूद्व, नियमों विरूद्व तथा चयन समिति में पार्षद महोदय को बिना बुलाये ही अप्रार्थीया संख्या 03 का चयन किया है। प्रार्थीया अनुसूचित जाति की बी.ए. तक पढी लिखी महिला है। लिहाजा अपील विरूद्व शहरी चयन समिति बैठक कार्यवाही को निरस्त कर प्रार्थीया एस.सी. (अनुसूचित जाति) महिला का चयन किया जाना सुनिश्चित कर प्रार्थीयान को न्याय प्रदान करने की कृपा करें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीकरनपुर से रिपोर्ट एवं रिकार्ड मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। उभय पक्ष को सुना गया। रिपोर्ट एवं रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता अपीलार्थिया ने अपनी बहस में बताया है कि अप्रार्थीया संख्या 03 का आंगनबाडी केन्द्र वार्ड नम्बर 08 केसरीसिंहपुर कार्यकर्ता के पद हेतु शहरी चयन समिति श्रीकरनपुर द्वारा किया गया है। उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर के कार्यालय आदेश क्रमांक– 8493 दिनांक 22.12.2017 के तहत आवेदन मांगे गये थे जिसके तहत प्रार्थीया ने नगरपालिका केसरीसिंहपुर वार्ड नम्बर 08 आरक्षित पद एस.सी. (अनुसूचित जाति) पर कार्यकर्ता पद के लिए आवेदन किया। शहरी चयन समिति श्रीकरनपुर द्वारा प्रार्थीया अनुसूचित जाति की महिला का चयन न करते हुए अप्रार्थीया सख्या श्रीमती विजय श्री वर्मा का चयन किया गया है जो ओबीसी की महिला है। अप्रार्थीया श्रीमती विजय श्री वर्मा का चयन नियम विरूद्व किया गया है। चयन हेतु वांछित पात्रता– के कॉलम –5 के 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है उन केन्द्रो के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जाएगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनबाडी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जानी चाहिए। दिनांक 08.02.2018 प्रार्थीया ने सूचना के अधिकार में एक प्रार्थना पत्र पेश चयन समिति द्वारा किये गये चयन के आदेश की प्रति अप्रार्थी संख्या 1 से चाही गई परन्तु सूचना के अधिकार के अधिनियम का उल्लघन करते हुए आज तक आदेश की कापा जारी नहीं की गई है। प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर दिये बिना चयन समिति ने द्वेषभाव व राजनैतिक प्रभाव से, विधि विरूद्व, नियमों विरूद्व तथा चयन समिति में पार्षद महोदय को बिना बुलाये ही अप्रार्थीया संख्या 03 का चयन किया है। प्रार्थीया अनुसूचित जाति की बी.ए. तक पढी लिखी महिला है। लिहाजा अपील विरूद्व शहरी चयन समिति बैठक कार्यवाही को निरस्त कर प्रार्थीया एस.सी. (अनुसूचित जाति) महिला का चयन करने का आदेश प्रदान करें।

रेस्पोडेन्ट बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीकरनपुर ने अपने जबाब पत्रांक 754 दिनांक 13.04.2018 एवं बहस में कहा है कि उप निदेशक कार्यालय श्रीगंगानगर के द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 01/2018 पत्रांक 8493 दिनांक 22.12. 2017 की पालना में वार्ड नम्बर 08 केसरीसिंपुर में कार्यकर्ता के चयन हेतु दिनांक 15.01.2018 तक कुल 7 आवेदन प्राप्त हुए जिसकी वरीयता सूची कार्यालय स्तर पर तैयार की गई। आवेदन पत्रो की कार्यालय स्तर पर तैयार की गई वरीयता सूची का अनुमोदन दिनांक 02.02.2018 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर की अध्यक्षता में गठित शहरी चयन कमेटी में किया गया। **आ.बा.केन्द्र वार्ड नम्बर 08 में कार्यकर्ता के पद हेतु महिला पर्यवेक्षक के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार कार्यकर्ता का पद सामान्य श्रेणी का रखा गया।** वरीयता सूचि में कम संख्या 01 पर अंकित महिला श्रीमती विजय श्री पत्नी श्री मदन लाल को कार्यकर्ता के कार्य प्रशिक्षण में भिजवाये जाने हेतु कार्यलय के पत्रांक 420 दिनांक 21.03.2018 के द्वारा श्रीमान उपनिदेशक महोदय श्रीगंगानगर को लिख दिया गया है। श्रीमती अमनदीप कौर पत्नी श्री जगदीश सिंह वार्ड नम्बर 8 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरनपुर के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत आवेदन पत्र कार्यालय को दिनांक 03.03.2018 को प्राप्त हुआ जिसकी सूचना कार्यालय के पत्रांक 617 दिनांक 03.04.2018 को रजिस्ट्रर्ड डाक द्वारा भिजवाई जा चुकी है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली, रिपोर्ट एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

रेस्पोडेन्ट (अप्रार्थीया) संख्या 03 की ओर से प्रस्तुत जबाब मय शपथ पत्र देखा गया। इसमें अंकित किया है कि विज्ञप्ति कमांक 8493 दिनांक 22.12.2017 के तहत वार्ड नम्बर 8 में आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद हेतु सामान्य वर्ग के आवेदन मांगे गए थे न कि अनुसूचित जाति हेतु। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 एम.ए. प्रथम वर्ष तक पढी लिखी है एंव कम्प्यूटर में आर.एस.सी.आई.टी. कोर्स तक शिक्षित है। इसलिए अपीलार्थी चयन की पात्र नहीं है। अपील सव्यय खारिज की जावें।

उप निदेशक कार्यालय श्रीगंगानगर के द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या 01/2018 कमांक 8493 दिनांक 22.12.2017 का अवलोकन किया जिसमें जिले में परियोजना खण्डोवार रिक्त पदो का विवरण मय सख्या अंकित कर इस विज्ञप्ति के विरूद्व आवेदन आमंत्रित कियें। विज्ञप्ति में कमांक 22 पर नगरपालिका क्षैत्र केसरीसिंहपुर वार्ड नम्बर 08 कार्यकर्ता पद हेतु आरक्षित पद में एस.सी. का अंकन नहीं है जैसा कि अन्य के लिए स्पष्ट अंकित किया हुआ है। इसकी पालना में वार्ड नम्बर 08 केसरीसिंपुर में कार्यकर्ता के चयन हेतु दिनांक 15.01.2018 तक कुल 7 आवेदन प्राप्त हुए जिसकी वरीयता सूची कार्यालय स्तर पर तैयार की गई। आवेदन पत्रो की कार्यालय स्तर पर तैयार की गई वरीयता सूची का अनुमोदन दिनांक 02.02.2018 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर की अध्यक्षता में गठित शहरी चयन कमेटी में अनुमोदन किया गया। आ.बा.केन्द्र वार्ड नम्बर 08 में कार्यकर्ता के पद हेतु महिला पर्यवेक्षक के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार कार्यकर्ता का पद सामान्य श्रैणी का रखा गया। आवेदन एवं पात्रता का निर्धारण करने का मूल आधार विज्ञप्ति एवं इसमें आरक्षित पद का विवरण ही है। अपीलार्थिया द्वारा स्वंय अपने अपील मीमो में इस विज्ञप्ति के तहत आवेदन करना स्वीकार किया है। इस विज्ञप्ति में आवेदित पद एस.सी. के लिए आरक्षित होने का कोई उल्लेख नहीं है लिहाजा इस पद को एस.सी. के लिए आरक्षित नहीं माना जा सकता। अपीलार्थिया ने अपनी अपील के सम्बन्ध में अन्य सभी कागजात सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त कर सलंग्न किये है परन्तु आवेदन पत्र की प्रति पेश नहीं की।

पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्री गंगानगर की विज्ञप्ति रिपोर्ट कमांक 8493 दिनांक 22.12.2017 अनुसार विचाराधीन अपील के अधीन कार्यकर्ता का पद सामान्य श्रैणी का रखा गया। प्रस्तुत 7 आवेदनो में से वरीयता कमांक 1 पर अंकित अप्रार्थीया सख्या 03 विजय श्री वर्मा का दिनांक 02.02.2018 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी श्रीकरनपुर की अध्यक्षता में गठित शहरी चयन कमेटी द्वारा किया गया चयन विधिसम्मत प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलार्थीया खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग, श्री गंगानगर एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीकरनपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 07.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

7/5/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।